संख्या–वे0आ0–1–1105 / दस–2012–42(एम) / 2008

प्रेषक,

आनन्द मिश्र,
प्रमुख सचिव, वित्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश
(2) वित्त अधिकारी / कुल सचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।
(3) शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा) / शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद / लखनऊ।
(4) निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश, कानपुर।
(5) निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश–8वॉ तल, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
(6) समस्त अध्यक्ष, जिला पंचायतें, उत्तर प्रदेश।
(7) निदेशक, पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–1 लखनऊः दिनांक 05 नवम्बर, 2012

विषयः– राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, शहरी स्थानीय निकायों तथा कार्य प्रभारित कर्मचारियों को मंहगाई भत्ते का दिनांक 01–07–2012 से बढ़ी हुई दर पर भुगतान।

पठित निम्नलिखित :–

(1) शासनादेश संख्या वे0आ0–1–698 / दस–2012–42(एम) / 08, दिनॉक 19 जुलाई, 2012
(2) भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या–1(8) / 2012–ई– I I(बी), दिनांक 28 सितम्बर, 2012 ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या वे0आ0–1–698 / दस–2012–42(एम) / 08, दिनॉक 19 जुलाई, 2012 के कम में राज्यपाल महोदय ने प्रदेश के समस्त पूर्णकालिक नियमित राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों के नियमित एवं पूर्णकालिक कर्मचारियों, कार्य प्रभारित कर्मचारियों तथा यू0जी0सी0 वेतनमानों में कार्यरत पदधारको को दिनाक 01 जुलाई, 2012 से निम्नानुसार संशोधित दर पर मंहगाई भत्ते के भुगतान की स्वीकृति सहर्ष प्रदान कर दी है :–

तिथि जब से देय है	मंहगाई भत्ते की मासिक दर
01–07–2012	मूल वेतन का 72 प्रतिशत

2— इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत मंहगाई भत्ते के संबंध में शासनादेश संख्या—वे0आ0—1—1599/दस—42(एम)/97, दिनांक 23 नवम्बर, 1998 के प्रस्तर—3 एवं 5 में उल्लिखित प्राविधान यथावत लागू रहेंगे।

3— इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत मंहगाई भत्ते के आगणन हेतु 'मूल वेतन' का तात्पर्य दिनांक 1 जनवरी, 2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन—संरचना में कर्मचारियों को अनुमन्य वेतन बैंड में 'वेतन' तथा अनुमन्य 'ग्रेड वेतन' के योग से होगा, किन्तु नियत वेतनमान में अनुमन्य वेतन ही मूल वेतन माना जायेगा। परन्तु उक्त के अतिरिक्त अन्य प्रकार के वेतन जैसे विशेष वेतन, सीमान्त विशेष वेतन/भत्ता, वैयक्तिक वेतन, प्रतिनियुक्ति भत्ता/वेतन तथा अन्य भत्ते आदि भले ही वे मूल नियम के अंतर्गत वेतन की परिभाषा में आते हों, को मूल वेतन के साथ सम्मिलित नही किया जायेगा। परन्तु प्रैक्टिस बन्दी भत्ता को 'वेतन' का अंश माना जायेगा अर्थात प्रैक्टिस बन्दी भत्ता को मंहगाई भत्ता के आगणन हेतु सम्मिलित किया जायेगा।

4— मंहगाई भत्ते को एक तरह का विशिष्ट घटक ही माना जायेगा तथा वित्तीय नियम—9(21) के अंतर्गत वेतन नही माना जायेगा।

5— इन आदेशों द्वारा स्वीकृत मंहगाई भत्ता उन कर्मचारियों/शिक्षकों को भी, जो प्रभावी तिथि को सेवारत थे किन्तु इस शासनादेश के जारी होने के पूर्व जिनकी सेवायें चाहे जिन कारणों से यथा अनुशासनिक कारणों से या त्याग—पत्र, सेवा—निवृत्त, मृत्यु या सेवा—मुक्त करने या स्वीकृत पदों की समाप्ति के कारण समाप्त हो गयी हों, सेवा—समाप्ति, सेवा निवृत्ति आदि की तिथि तक अनुमन्य होगा।

6— इन आदेशों द्वारा स्वीकृत मंहगाई भत्ते की देय धनराशि को निकटतम एक रूपये में पूर्णांकित किया जायेगा अर्थात 50 पैसे और उससे अधिक को उच्चतर रूपये पर पूर्णांकित किया जायेगा और 50 पैसे से कम की राशि को छोड़ दिया जायेगा।

7— इन आदेशों द्वारा स्वीकृत दरों पर मंहगाई भत्ते की दिनांक 01 जुलाई, 2012 से दिनांक 30 नवम्बर, 2012 तक की देय अवशेष धनराशि अधिकारी/कर्मचारी के भविष्य निधि खाते में, अवशेष धनराशि पर देय आयकर एवं सरचार्ज की कटौती की सुविधा के अधीन जमा की जायेगी और इस प्रकार जमा धनराशि को भविष्य निधि खाते में दिनांक 01 दिसम्बर, 2012 से जमा माना जायेगा और इस तिथि से उक्त धनराशि पर ब्याज भविष्य निधि पर लागू दर से देय होगा इस प्रकार भविष्य निधि खाते में जमा की गई अवशेष धनराशि दिनांक 30 नवम्बर, 2013 तक संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के खाते में जमा रहेगी और इसे उन मामलों को छोड़कर जिनमें भविष्य निधि नियमों के अंतर्गत अन्तिम प्रत्याहरण (Final Withdrawal) देय हो जाय, उक्त तिथि से पूर्व नही निकाला जा सकेगा। इन आदेशों द्वारा स्वीकृत मंहगाई भत्ते की बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान दिनांक 01 दिसम्बर, 2012 से (माह दिसम्बर, 2012 का भुगतान दिनांक 01 जनवरी, 2013 को देय) नकद किया जायेगा।

ऐसे अधिकारी/कर्मचारी जिनका भविष्य निधि खाता न खुला हो, उनको देय अवशेष नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (एन0एस0सी0) के रूप में दिया जायेगा, परन्तु धनराशि के जिस अंश का सर्टिफिकेट उपलब्ध न हो वह उसे नकद दी जायेगी।

8— नयी पेंशन योजना से आच्छादित कर्मचारियों को देय मँहगाई भत्ते के ऐरियर की राशि के दस प्रतिशत के बराबर राशि कर्मचारियों के टियर—1 पेंशन खाते में जमा की जायेगी तथा राज्य सरकार/नियोक्ता द्वारा समतुल्य अंशदान टियर—1 पेंशन खाते में जमा किया जायेगा। एरियर की शेष 90 प्रतिशत राशि संबंधित कर्मचारियों को नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (एन0एस0सी0) के रुप में दी जायेगी।

9— मंहगाई भत्ते की सामान्य भविष्य निधि लेखा में जमा की जाने वाली अवशेष धनराशि से संबंधित बिल/शेड्यूल/चालान पर शासनादेश सख्या—सा—4—12/दस—97—500 (1)/97, दिनांक 7—10—1997 में निहित आदेशानुसार निर्धारित मोहर लगायी जानी चाहिए।

10— जिन अधिकारियो/कर्मचारियों की सेवायें इस शासनादेश के जारी होने की तिथि से पूर्व समाप्त हो गई हो अथवा जो अधिकारी/कर्मचारी अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर दिनॉक 01 जुलाई, 2012 से शासनादेश निर्गत होने की तिथि तक सेवानिवृत्त हो गये हों अथवा 06 माह के अन्दर सेवा निवृत्त होने वाले हों, उनको देय मंहगाई भत्ते के बकाये की सम्पूर्ण धनराशि का भुगतान नकद किया जायेगा।

भवदीय,

(आनन्द मिश्र)
प्रमुख सचिव।

<u>संख्या—वे0आ0—1—1105(1)/दस—2012, तद्दिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)—1 एवं 2 तथा (आडिट)—1 एवं 2 उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(2) समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
(3) समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
(4) वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (वेतन अनुसंधान एकक), भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) कमरा नं0—261, नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली—110001
(5) प्रमुख सचिव, राज्यपाल महोदय, लखनऊ।
(6) प्रमुख सचिव, विधान सभा/परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(7) महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
(8) रीजनल प्राविडेन्ट फण्ड कमिश्नर, कानपुर।
(9) अपर निदेशक, कोषागार शिविर कार्यालय, नवीन कोषागार भवन (प्रथम

तल) कचहरी रोड़, इलाहाबाद।

(10) निदेशक, पंचायती राज (लेखा) इन्दिरा भवन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ (90 अतिरिक्त प्रतियों सहित जो समस्त वित्तीय परामर्शदाता, जिला पंचायतें, उत्तर प्रदेश को भेजी जायेगी) ।

(11) निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

(12) निदेशक, सूचना, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

(13) शिक्षा अनुभाग–3,5,6,8 और 11, उच्च शिक्षा अनुभाग–2 व 4, प्राविधिक शिक्षा अनुभाग–1 व 2, नगर विकास अनुभाग–1 तथा पंचायती राज अनुभाग–1, सावर्जनिक उद्‌यम अनुभाग–1 व 2 (अतिरिक्त प्रतियों सहित)।

(14) इरला चेक अनुभाग/इरला चेक (वेतन पर्ची प्रकोष्ठ)

(15) वित्त(ई–6),वित्त (सामान्य)अनु0–1 व 2, उत्तरांचल समन्वय अनुभाग, चिकित्सा अनुभाग–2, कृषि अनुभाग–8, पंचायती राज अनुभाग–3,आवास अनुभाग–2, नगर विकास अनुभाग–3।

(16) निदेशक, एन0आई0सी0, छठा तल, योजना भवन, लखनऊ को शासनादेश वित्त विभाग की वेब साइट पर डाले जाने हेतु।

(17) सचिवालय के अन्य समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,

(मनोज कुमार जोशी)
संयुक्त सचिव।

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 61 सा0 वित्त–06.11.2012–(2809)–5002 (क0/आफसेट)।